

अंतर कार्यालय ज्ञापन
बरेली समूह, कार्यालय

प्रेषक: वरि. महाप्रबंधक, बरेली


सेवा में: वरि. महाप्रबंधक (पी ई एस एम) /
लोक सूचना अधिकारी, उ. क्षे - 3,
लखनऊ

सन्दर्भ सं : NR-III/BLY/RTI

दिनांक : 11. 07. 2022

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के अंतर्गत श्री वीरपाल सिंह, जिला उधम सिंह नगर द्वारा भेजा गया एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार ट्रांसमिशन लाइनों के पास खनन के सम्बन्ध में कुछ जानकारी मांगी गई है. उपरोक्त मूल पत्र, रु 10/- के मूल पोस्टल ऑर्डर के साथ यहाँ संलग्न है. उपरोक्त पत्र का ड्राफ्ट उत्तर भी यहाँ संलग्न है. अतः उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रार्थी को समुचित उत्तर भिजवाने का कष्ट करें।


11-07-2022
(पंकज शर्मा)

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

ड्राफ्ट उत्तर

बिषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गयी सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री वीरपाल सिंह पुत्र नौरतन सिंह, मो0 टाण्डा बंजारा, सुल्तानपुर पट्टी, तहसील-बाजपुर, जिला- उधम सिंह नगर द्वारा टावरों के आस पास खनन करने वालों पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में माँगी गयी सूचना पावरग्रिड से सम्बंधित नहीं है, माँगी गयी सूचना जिला प्रशासन से सम्बंधित है।

प्रार्थी का आवेदन, पोस्टल आर्डर एवं समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

Ud

सवा म.

श्रीमान उपप्रबन्धक/ लौ० सू० अधिकारी महोदय
पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(बरेली) ३०१०

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत
सूचना उपलब्ध कराने वाकत प्रार्थना पर -

1- यह है कि कोसी नदी में 16-06-११ को बरेली से आई हार्ड
ट्रांसमिशन लाइन के विद्युत अधिकारी व उनके साथ राजस्व
विभाग व खनन के अधिकारियों ने कोसी नदी में लगे 400 KV
व 132 KV के विद्युत पोलों का निरीक्षण किया निरीक्षण में तब
दाद बाजपुर द्वारा बताया गया कि टावर के पुराने बैस से वर्तमान
में 15 फीट गहराई तक अवैध खनन कर दिया गया है। उन्होने
बताया कि अवैध खनन के चलते हार्ड ट्रांसमिशन पावर का विद्युत
टावर अपने बैस से चौड़ा झुक गया है। जिससे एक बहुत बड़े
दुर्घटना का अन्देश व्यक्त किया गया है। तदसीलदार बाजपुर
द्वारा यह कहा गया था कि टावर के आस पास अवैध खनन
करने वालों पर कार्यवाही कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी
जाएगी अतः टावरों के आस-पास अवैध खनन करने वाले खेत
मालिकों पर भी कार्यवाही की जाएगी अतः अवैध खनन करने वालों
पर किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है। उस रिपोर्ट की सत्यप्रति की
द्वारा प्रति उपलब्ध कराए।

अतः महोदय से अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम
२००५ के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने का कठक करे सूचना उपलब्ध
कराने हेतु निर्धारित फीस के तौर पर 1000 का पोस्टल आर्डर संख्या
57f 099378 प्रार्थना फू के साथ संलग्न है।

संलग्न
पोस्टल आर्डर
17 जून के न्यूजपेपर की द्वायाप्रति

वीरपाल सिंह
पायी
वीरपाल सिंह S/O नौरतन सिंह
मौ०टाण्डा केजारा मुल्तानपुर पड़ी
तब- काजपुर
जिला (अ०वि० नगर)

सेवा में

श्री मान उप प्रबन्धक / लोक सूचना आदि महोदय
पावर गिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
अला पट्टी जानुवी तरेली (ऊ प्र०)
पिन कोड - 24 3202

6



प्रेषक
वीरपाल सिंह गठवरतन सि
पता मो० बाण्डा बजार अ
तट - बाजुडर
ऊर सि

